भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4690
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

कर चोरी

4690. श्री राहुल रमेश शेवले:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में कर चोरी करने और धन शोधन के दोषियों को दंडित करने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) और आय कर रिटर्न के बेमेल होने का पता लगाने हेतु डेटा विश्लेषण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने दोषियों को चिन्हित किया गया है;

(ग) देशभर में जीएसटी के आरंभ से अब तक इसके बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए दावों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में जीएसटी के कार्यान्वयन से अब तक जीएसटी और आय कर से संग्रहित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर चोरी के मामलों का पहले ही पता लगाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार ने आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न में महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए पहल की है ताकि कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों में असंगतियों का शुरुआती स्तर पर पता लगाया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के बीच आंकड़ों के बाधारहित आदान-प्रदान को सुचारु बनाने के लिए, सीबीडीटी ने दिनांक 31.04.2019 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(क) के तहत एक आदेश पारित किया है जिसमें नोडल अधिकारी, जीएसटीएन को आयकर निर्धारिती से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) को बतौर नियत अधिकारी विनिर्दिष्ट किया गया है। तदुपरांत 14.05.2019 को सीबीडीटी और जीएसटीएन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें आंकड़ों के आदान-प्रदान, आंकड़ों के रखरखाव, उसकी गोपनीयता बनाए रखने, आदि के तौर-तरीकों को शामिल किया गया। समझौता ज्ञापन के आधार पर सीबीडीटी और जीएसटीएन के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा इनपुट और सूचना के आधार पर कर चोरी के मामलों की पहचान की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

सरकार द्वारा कर चोरी के मामलों का पता लगाने हेतु महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं- कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन (सीएएसएस), नॉन-फाइलर निगरानी प्रणाली (एनएमएस), आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए)। इसके अलावा सरकार नकदी जमा राशि, क्रेडिट कार्ड भुगतान, संपत्तियों का क्रय और विक्रय, शेयर व म्युचुवल फंड्स आदि की खरीद से संबंधित अधिसूचित सीमा से अधिक विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन पर भी सूचना एकत्रित करती है। जब कभी प्रत्यक्ष कर चोरी से संबंधित कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, आयकर विभाग, कानून के अनुसार जांच, जब्ती, सर्वेक्षण आदि के रुप में कार्रवाई करता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत एक विशेष निदेशालय, जो डेटा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है, सामान्य तौर पर जीएसटी चोरी की जांच करने और विशेष रुप से कपटपूर्ण ऋण अदायगी के लिए जांच, लेखापरीक्षा और प्रवर्तन के प्रयोजन से सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और आसूचना जानकारी प्रसारित करता है। जीएसटी परिषद ने बी2बी लेनदेन में ई-बीजक के उपयोग को भी मंजूरी दे दी है।

*****